राजस्व वाद 133/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/231
ओमप्रकाश वगैरह बनाम् भंवरलाल वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 133/2021

वादीगण-

1. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल
2. बीरमाराम पुत्र भंवरलाल
3. गेनाराम पुत्र भंवरलाल

जातियान-जाट, निवासीगण-नोसरिया, तहसील-जायल, जिला-नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. भंवरलाल पुत्र पदमाराम
2. शारदा पुत्री भंवरलाल

जातियान-जाट, निवासीगण-नोसरिया, तहसील-जायल, जिला-नागौर।

3. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :-

1. श्री शिवकुमार पारासर वादीगण की ओर से
2. श्री अम्बालाल पारासर प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- : : डिक्री आदेश : : -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शिवकुमार पारासर अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 हाजरी श्री अम्बालाल पारासर अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा नोसरिया तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नंबर 142/1, 149/2 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 10 दिनांक 08.10.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, जो कि निर्णय का एक भाग रहेगा। अतः निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 ओमप्रकाश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 149/2 रकबा 8.4984 हैक्टेयर में से 2.8068 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 133/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/231
ओमप्रकाश वगैरह बनाम् भंवरलाल वगैरह

2. वादी संख्या 2 बीरमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 149/2 रकबा 8.4984 हैक्टेयर में से 2.8068 हैक्टेयर मध्य भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. वादी संख्या 3 गेनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 149/2 रकबा 8.4984 हैक्टेयर में से 2.8068 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 142/1 रकबा 3.6503 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 2 के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गयी है क्यों कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 समय–समय पर सामाजिक व धार्मिक परम्पराएं एवं रीति रिवाज पुरे करते आ रहे हैं।
6. खसरा नंबर 149/2 रकबा 8.4984 हैक्टेयर में से 0.0780 हैक्टेयर भूमि नजरीनक्शानुसार संयुक्त रास्ते के उपयोग हेतु रखी गई है।

नोट–: प्रतिवादी संख्या 2 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

08/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

ीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना
ज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर
ादालत के आज तारीख ...08/10/2021......... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैंसे
ाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
हनताना वकील			खर्चा गवाहान		
ीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
ाबत् इजराज हुक्मनामा			बावत् हुराय हुक्मनामा		
ुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
ीजान			मिजान		

ट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

08/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner